

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा मुकाम खेजडी

श्रीमति सन्तोष देवी पत्नि भैरु लाल भील बनाम श्रीमति जीया पत्नि हजारी भील
निवासी- खेडा बस्ती कोटडी निवासी - भीमलत
किस्म मुकदमा-प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-128 रा.ले.रेवे. एक्ट प्रकरण संख्या- 23/2018

13.06.2018

प्रत्रावली आज लोक अदालत केम्प कोर्ट खेजडी पर पेश हुई प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी मुतदाविया प्रार्थी के खातेदारी की आराजियात हैं।
विपक्षीगण उक्त आराजियात के पडौसी हैं। जिनको भूमि सीमा की जानकारी नही होने से वह 1आये दिन जमीन की कमी बेशी को लेकर विवाद करते रहते हैं। इसलिये प्रार्थी अपने खातेदारी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अन्त में कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावें।

हमने वकील प्रार्थी को सुना। प्रत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 मौजा भीमलत की आराजी नं.- 1128 रकबा 10 बीघा भूमि के खातेदार/काश्तकार दर्ज रेकार्ड होना प्रकट आया हैं। तदनुसार प्रार्थी उक्त भूमि के पत्थरगढी कराने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

—:आदेश:—

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया मौजा भीमलत की आराजी नं.- 1128 रकबा 10 बीघा भूमि के पडौसियान को सूचित कराया जाकर कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुये पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना के लिये भू-अभिलेख निरीक्षक- दांतडा को 1,000/-रुपये (अक्षरे- एक हजार रू0 मात्र फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से कम कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पडौसी एवं खातेदारान को उक्त आराजियात की पत्थरगढी की लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिबाबत सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार हुरडा को भिजवा जावे। प्रत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें। आदेश अदिनांक 13.06.2018 को खुली लोक अदालत में सुनाया गया।



उपखण्ड-अधि
पदेन सहायक
गुलाबपुरा केम्प